L. A. BILL No. C OF 2025.

A BILL

Further to amend the Maharashtra Land Revenue code, 1966.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १०० सन् २०२५।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधि विधेयक।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के छिहत्तरवे वर्ष में, एतद्व्दारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२५ कहलाए ।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसके बाद "उक्त संहिता" कहा गया है ।)के अध्याय तेरह में, धारा २५९ के पश्चात् निम्न धारा निविष्ट की जाएगी और उक्त संहिता के प्रारंभण से हमेशा निविष्ट की गई समझी जाएगी, अर्थात :—

अपील सुनवाई की शक्ति ।

"२५९ क. इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार के समक्ष दायर अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की सुनवाई और निर्णय राजस्व विभाग के प्रभारी मंत्री व्दारा किया जाएगा ; या राजस्व विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री व्दारा या राजस्व विभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (अपील और पुनरीक्षण) व्दारा, जैसा भी मामला हो, यदि प्रभारी मंत्री व्दारा ऐसा सम्यकतया प्राधिकृत किया गया हो ।"।

विधिमान्यता और व्यावृत्ति

३. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम में या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी न्याय निर्णय, डिक्री या आदेश में, अंतर्निष्ट किसी बात के होते हुए भी जो उक्त संहिता के उपबंधों के अधीन कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्यित रखता है, की गयी कार्यवाही या की गई बातों, लिए गए निर्णय या पारित आदेशों के होते हुए भी, राजस्व विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री या अप्पर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (अपील और पुनरीक्षण), राजस्व विभाग व्दारा, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२५ (जिसे इसमें आगे, इस धारा में "संशोधन और विधिमान्यकरण के रूप में निर्दिष्ट) के प्रारंभण के दिनांक से पूर्व उक्त संहिता के अधीन अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन कार्यवाही में और राजस्व अधिकारियों या किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी व्दारा की गई कोई कार्यवाही, किए गए कार्य, लिया गया निर्णय या पारित आदेश, विधि के अनुसार सम्यक् रूप से और वैध रूप से किए गए समझें जाएंगे और हमेशा की गयी समझे जाएंगे, मानो संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम व्दारा यथा संशोधित उक्त संहिता के उपबंध सभी तात्विक समयों पर निरंतर प्रवृत्त रहे थे और तद्नुसार, किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस आधार पर नहीं की जाएगी कि, ऐसे प्रारंभण से पूर्व उक्त संहिता के उपबंध राजस्व विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री या राजस्व विभाग के अप्पर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (अपील और पुनरीक्षण) को राज्य सरकार के समक्ष दायर अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की सुनवाई करने और उस पर निर्णय लेने के लिए सशक्त नहीं करते थे। के भूगतान से छूट प्रदान कर सकेगी, यदि राज्य सरकार की यह राय है कि, यह लोक प्रयोजन की परियोजनाओं के लिए या लोकहित में आवश्यक है ।"।

सन् १९६६ का महा. ४१।

सन् २०२५ का महा. ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१) के अध्याय बारह में उक्त संहिता के अधीन राजस्व अधिकारी या सर्वेक्षण अधिकारी व्दारा पारित किसी भी निर्णय और आदेश के विरूध्द अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन दायर करने के उपबंध हैं । उक्त संहिता की धारा २४८ में आयुक्त या निपटान आयुक्त या भूमि अभिलेख निदेशक व्दारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश के विरूध्द राज्य सरकार को अपील दायर करने के लिए उपबंध है । उक्त संहिता की धारा २५७ में राज्य सरकार को किसी भी जाँच या किसी राजस्व अधिकारी या सर्वेक्षण अधिकारी की कार्यवाही के अभिलेख को मांगने और जांचने की पुनरीक्षण के अधिकार दिये गए हैं । उक्त संहिता की धारा २५८ में राज्य सरकार को उसके व्दारा पारित किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन करने के अधिकार दिए गए हैं ।

२. राज्य सरकार के सक्षम दायर की गई अपीलों, पुनरीक्षणों और पुनर्विलोकन आवेदनों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, राजस्व मंत्री समय-समय पर भारत के संविधान के अनुच्छेद १६६ के अधिन बनाए गए महाराष्ट्र सरकार के कार्य नियमों के नियम १५ के अधिन जारी किए गए। सरकारी कार्य के संबंध में निर्देशों के अधीन आदेश जारी करते रहे हैं, ताकि कतिपय अपीलों, पुनरीक्षणों या पुनर्विलोकण आवेदनों को प्रशासनिक सुविधा और उसके शीघ्र निपटान के लिए राज्य के प्रभारी मंत्री या सचिव (अपील और पुनरीक्षण) को सौंपा जा सके ।

३. बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पीठ ने रिट याचिका क्रमांक ८९७७/२०२४ और ८९७८/२०२४ में पारित अपने आदेश दिनांकित ९ मई २०२५ में माना कि कार्य नियम किसी सांविधिक उपबंधों को रद्द नहीं कर सकते, इसलिए, संहिता की धारा २५७ की उप-धारा (४) के विरूध्द होने के कारण दूसरे संशोधन पर विचार करने के अधिकार का प्रत्यायोजन वैध नहीं है।

४. भूमि के वास्तविक स्वामियों या अधिभोगियों को राहत देने के उद्देश्य से और मुकदमेबाजी में उलझी भूमि का कृषि साथ ही साथ गैर-कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग संभव बनाने के लिए, सरकार के समक्ष बड़ी संख्या में प्रस्तुत अपीलों, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन आवेदनों का समय पर निपटारा करना आवश्यक है। अतः, सरकार उक्त संहिता में ही यह उपबंध करना आवश्यक समझती है कि, राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत अपीलों, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन आवेदनों की सुनवाई और निर्णय राजस्व विभाग के प्रभारी मंत्री या प्रभारी राज्य मंत्री या सचिव (अपील और पुनरीक्षण), राजस्व विभाग, जैसा भी मामला हो, व्दारा सम्यकतया किया जाएगा, यदी प्रभारी मंत्री व्दारा ऐसा सम्यकतया प्राधिकृत किया गया हो।

उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, उक्त संहिता में भुतलक्षी प्रभाव से एक नई धारा २५९ के निविष्ट करने का प्रस्ताव है। इसमें राजस्व विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री या सचिव (अपील और पुनरीक्षण) व्दारा की गई किसी कार्रवाई या किए गए कार्य, लिए गए निर्णय या पारित आदेशों के विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति के भी उपबंध करने का प्रस्तावित है।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

नागपुर,
दिनांकित ९ दिसंबर, २०२५ ।

चंद्रशेखर बावनकुळे,
राजस्व मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांकित ९ दिसंबर, २०२५ ।

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।